न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2017/00304

1. दुर्गा लाल रामचन्द्र जाति बैरवा निवासी बडी उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. मथुरा बाई पत्नी दुर्गालाल जाति बैरवा निवासी बडी उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---अपीलान्ट

बनाम

सुन्दरा आत्मज छोटू जाति चमार (बैरवा) निवीस बडा उगेन तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री राकेश ठाकोर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 28.07.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादिनी रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम उगैन तहसील नैनवा में खाता संख्या 152 में कुल 04 किता की रकबा 11 बीघा 11 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी एवं आधिपत्य की भूमि है इस पर वादी का कब्जा बहैसियत खातेदार कृषक चला आ रहा है । प्रतिवादीगण का उक्त भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है फिर वे उक्त भूमि पर जबरन ताकत के बल पर वादी को बेदखल कर कब्जा करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी से वादी को जबरन ताकत के बल पर बेदखल नहीं करें तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करें । उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही डिक्री किया है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल 04 किता की 11 बीघा 11 बिस्वा ग्राम उगैन में स्थित है । इस आराजी के बाबत् रेस्पोडेन्ट कम 01 ने दावा परीक्षण न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया । प्रतिवादीगण ने इसमें जवाबदावा पेश किया और यह कथन किया कि इस वादीगण का कभी कब्जा नहीं रहा है । इस पर कब्जा अपीलान्टगण का पूर्वजों के समय से चला आ रहा है । इस कारण धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का दावा मेन्टेनेबल नहीं है । परीक्षण न्यायालय ने लोक अदालत में बिना सीपीसी की पालना किये दावे का निर्णय किया है और दावा वादी डिक्री किया गया है । पत्रावली कायममुकामान के प्रार्थना पत्र के जवाब में लम्बित थी और इसका निर्णय लोक अदालत में बिना कायममुकामान बनाये पारित किया किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में वादिनी ने धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत दावा पेश किया था जिसका जवाबदावा प्रतिवादीगण के द्वारा पेश किया गया था । पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं हुई हैं और इसी बीच दिनांक 20.11.2015 को वादिनी के कायममुकामान के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके जवाब

में पत्रावली लम्बित थी और इसको लोक अदालत में बिना पक्षकारों की उपस्थिति के बिना किसी राजीनामे के निर्णित किया गया है ।

10. लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करे । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से गुणावगुण के आधार निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10.05.2016 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वादिनी के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लेकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत रूप से नये सिरे से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 20.09.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.07.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/7/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा